

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 240 /14-1 दिनांक, मेरठ 15, जुलाई, 2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- इन्डियन आयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अनीवास एवं मखैना में पडने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को क्रास करते हुए 0.015 हे० संरक्षित वन भूमि में गैस पाईप लाईन डालने के सम्बन्ध में।

Proposal No.- FP/UP/Others/118929/2021.

संदर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर का पत्रांक 84/14-1, दिनांक 11.07.2022।

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

पत्रांक 240 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

E/Land transfer

page no.

441

36/2022/116  
Received  
Supervisor  
Rupesh Jha  
7672306116  
Date-15-07-22

### भाग-III

इन्डियन आयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अनीवास एवं मखैना में पडने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को क्रास करते हुए 0.015 हे० संरक्षित वन भूमि में गैस पाईप लाईन डालने के सम्बन्ध में।

Proposal No.- FP/UP/Others/118929/2021.

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 14. | स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं  |
| 15. | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।   | सहमत हैं  |
| 16. | प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।  | प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

तिथि : 15-07-2022

स्थान : मेरठ

नाम और पदनाम-  
सरकारी मोहर-

हस्ताक्षर


(गंगा प्रसाद)


वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ।  
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र  
मेरठ

## प्रमाण पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।"

हस्ताक्षर  
  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बुलन्दशहर प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बुलन्दशहर।

हस्ताक्षर  
  
प्रयोक्ता एजेंसी के नामित प्रतिनिधि  
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)

प्रतिहस्ताक्षरित  
  
(अनूप प्रसाद)  
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,  
(नाम, मोहर एवं तिथि सहित)  
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र  
मेरठ



  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
अनूपशहर

  
उप प्रभागीय प्रनाधिकारी  
बुलन्दशहर

~~विनीत सिंह  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बुलन्दशहर।~~